प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 जुलाई, 2025

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) – 2025 की प्रतिवेदन संख्या 6

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में छह अध्याय हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का (सीपीएसई) सारांश प्रस्तुत करने और सीएजीकी निगरानी भूमिका के अलावा, प्रतिवेदन में सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और निगमित शासन पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति, विनिवेश प्रक्रिया की स्थिति, कॉर्पोरेट साामाजिक उत्तरदाायित्व और घाटे में चल रहे चयनित सीपीएसई की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में सीपीएसई के और उसमें अवलोकित मुद्दों और प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन की कुछ मुख्य विशेषताओं पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

31 मार्च 2022 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 698 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। इनमें 490 सरकारी कम्पनियां, 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छह सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 642 सीपीएसई की वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत करती है जिसमे 454 सरकारी कम्पनियां तथा निगमों (छह सांविधिक निगमों सहित) तथा 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में 56 सीपीएसई (14 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां सहित) शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे देय नहीं थे।

(पैरा 1.1.3)

केंद्र सरकार का निवेश

454 सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखाओं में दर्शाया गया कि 31 मार्च 2022 को केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी में ₹6,36,730 करोड़ की इक्विटी धारिता थी। 31 मार्च 2022 को सीपीएसई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का बकाया ₹1,47,563 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान, सीपीएसई की इक्विटी में केंद्र सरकार की धारिता में ₹1,83,682 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई और बकाया ऋणों में ₹1,61,961 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1)

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च, 2021 तक कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के शेयरों के ₹12,86,882 करोड़ बाजार मूल्य की तुलना में 31 मार्च 2022 को उन 65 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹15,88,664 करोड़ था, जिनके शेयरों का 2021-22 के दौरान कारोबार किया गया था। 31 मार्च 2022 को 58 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) में केंद्र सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹9,17,248 करोड़ था।

(पैरा 1.2.4)

सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल

2021-22 के दौरान 258 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹2,69,307 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से 69.18 प्रतिशत (₹1,86,317 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली और वित्तीय सेवाओं मे 90 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा किया गया था। 2020-21 में 239 सीपीएसई में इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 13.11 प्रतिशत की तुलना में इन 258 सीपीएसई में 2021-22 में आरओई 15.50 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.1)

वर्ष 2021-22 के दौरान 170 सीपीएसई को हानि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान इन कंपनियों को हुई हानि घटकर ₹31,347 करोड़ रह गई जो की 2020-21 में ₹34,555 करोड़ थी।

(पैरा 1.3.2)

वर्ष 2021-22 के दौरान 121 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹1,11,061 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹54,381 करोड़ था, जो सभी 454 सरकारी कंपनियों और निगमों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश (₹6,36,730 करोड़) पर 8.54 प्रतिशत प्रतिफल को दर्शाता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन नौ सरकारी कंपनियों ने ₹37,833 करोड़ का योगदान दिया जो सभी 121 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 34.07 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.4)

निवल मूल्य/संचित हानि

सभी 454 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल संपत्ति ₹21,79,355 करोड़ थी, जबकि उनकी प्रदत्त पूंजी ₹8,30,531 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 को ₹1,83,356 करोड़ की संचित हानि के साथ 192 सरकारी कंपनियां थे। इनमें से 79 कंपनियों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह खत्म हो गया था। परिणामस्वरूप, इन कंपनियों का कुल निवल मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹75,186 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गया था।

(पैरा 1.3.3)

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

31 मार्च, 2022 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 698 सीपीएसई (छह वैधानिक निगमों सहित) में से, वर्ष 2021-2022 के लिए वित्तीय विवरण 597 सीपीएसई (418 सरकारी कंपनियां, 174 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां और पांच वैधानिक निगम) से प्राप्त हुए। सीएजी ने 384 सीपीएसई (पांच वैधानिक निगमों सहित) के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

(पैरा 2.5.1)

सात सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 88 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को पटल पर रखने से पहले अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संशोधन किया।

(पैरा 2.5.1.1)

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹4,498 करोड़ और ₹2,88,460 करोड़ था।

(पैरा 2.5.1.3)

III. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में 71 सीपीएसई को शामिल किया गया, जिनके शेयर/बांड स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे और तीन सांविधिक निगमों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम) सहित 35 सीपीएसई, जिनके केवल बांड/डिबेंचर 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे।

(पैरा 3.1.2)

वर्ष 2021-22 की संपूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान 26 सीपीएसई (37 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे और 55 सीपीएसई (77 प्रतिशत) में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2.1)

वर्ष 2021-22 की संपूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान 20 सीपीएसई (28 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थीं और 41 सीपीएसई (58 प्रतिशत) (शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) के बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं।

(पैरा 3.2.3)

वर्ष 2021-22 की संपूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान सात सीपीएसई (शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) में न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड पूरा नहीं किया गया।

(पैरा 3.2.4)

वर्ष 2021-22 की संपूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान 11 सीपीएसई (15 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था और 28 सीपीएसई (39 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। इसके अलावा, आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में शामिल नहीं हुए।

(पैरा 3.8.1.1, 3.8.1.2 और 3.9)

वर्ष 2021-22 की संपूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान 12 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था और 18 सीपीएसई (25 प्रतिशत) में इसकी संरचना अपर्याप्त थी।

(पैरा 3.12)

IV. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश, बिक्री की पेशकश, शेयरों की पुनर्खरीद, अवशिष्ट स्टॉक बिक्री, शत्रु शेयर बिक्री और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम) के माध्यम से ₹13,534 करोड़ की राशि प्राप्त की। विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के बजट अनुमानों में वर्ष 2021-22 को छोड़कर हर साल वृद्धि का रुझान दिखा, जहां यह 2020-21 के ₹2,10,000 करोड़ के बजट अनुमान से 16.67 प्रतिशत घटकर ₹1,75,000 करोड़ रह गया। संशोधित अनुमान चरण में ₹1,75,000 करोड़ के बजट अनुमान को घटाकर ₹78,000 करोड़ कर दिया गया। हालांकि, वास्तविक प्राप्ति संशोधित अनुमान का केवल 17 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.4 और 4.5)

भारतीय जीवन बीमा निगम और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को बजट अनुमान चरण में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश के लिए चुना गया था, लेकिन वर्ष 2021-22 के दौरान इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालाँकि, 2022-23 के दौरान एलआईसी में ₹20,516.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जो कि ₹50,000 करोड़ के अनुमानित अनुमान से कम थी।

(पैरा 4.6.1)

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान चरण में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश के लिए 16 सीपीएसई की पहचान की गई थी। केवल तीन सीपीएसई अर्थात् राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बिक्री के लिए प्रस्ताव 2021-22 के दौरान पूरा किया जा सका, जिसमें शुद्ध आय ₹5,116 करोड़ थी जो संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित राशि का 34.05 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.6.2.1)

एयर इंडिया लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश 2021-22 के दौरान ₹18,000 करोड़ में पूरा हुआ, जिसमें एयर इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ-साथ प्रबंधन

नियंत्रण मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी गई थी। इस लेन-देन में ₹2,700 करोड़ का नकद प्रतिफल और मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित एयर इंडिया लिमिटेड के ₹15,300 करोड़ के ऋण शामिल थे।

{पैरा 4.10.1, 4.10.2 (ii)}

V. कॉर्पोरेट साामाजिक उत्तरदाायित्व

समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 63 सीपीएसई (11 महारत्न, 09 नवरत्न, 29 मिनीरत्न और 14 अन्य) को शामिल किया गया।

(पैरा 5.3)

तीन सीपीएसई (एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड) की सीएसआर समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार समिति में तीन निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया।

(पैरा 5.5.1.1)

वर्ष 2021-22 में 63 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹4,005.30 करोड़ खर्च किया गया। पेट्रोलियम और बिजली क्षेत्र में कुल व्यय का 68.03 प्रतिशत हिस्सा रहा। रक्षा, रेलवे, शिपिंग, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 2 प्रतिशत की आवश्यकता के मुकाबले व्यय में कमी रही। 14 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से भी कम आवंटन किया।

(पैरा 5.5.2.1 और 5.5.2.2)

सीएसआर के अनुसार, सीपीएसई को इस अवधि के दौरान आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विषयों पर कम से कम 60 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 60 में से केवल 39 सीपीएसई ही 2021-22 के दौरान सामान्य विषय पर खर्च किए जाने वाले 60 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(पैरा 5.6.2)

पांच सीपीएसई (एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2021-22 के दौरान 5 प्रतिशत की ओवरहेड व्यय सीमा को पार कर लिया। 63 सीपीएसई में से 25 ने

सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

(पैरा 5.7 और 5.8.1)

आठ सीपीएसई ने सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के नियम 8 और नियम 9 के अनुपालन में वैधानिक प्रकटीकरण आवश्यकता का पूरी तरह से पालन नहीं किया था। दो सीपीएसई (आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करते समय प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया। तीन सीपीएसई (चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पावर ग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड) ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का खुलासा नहीं किया था।

(पैरा 5.12)

VI. घाटे में चल रहे चयनित सीपीएसई की समीक्षा

समीक्षा में घाटे में चल रही छह सरकारी कंपनियों अर्थात सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को शामिल किया गया।

(पैरा 6.3)

घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों और निगमों की संख्या 143 से 177 तक थी और 2017-18 से 2021-22 के दौरान उन्हें ₹31,347 करोड़ से ₹56,294 करोड़ तक का घाटा हुआ। इस प्रकार, 2017-22 के दौरान सरकारी कंपनियों और निगमों को कुल ₹2,03,709 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा 6.1)

सेतुसमुद्रम शिपिंग चैनल परियोजना के लिए सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) को निगमित किया गया था। एससीएल अपने अस्तित्व में आने के 19 साल (सितंबर 2024) बाद भी अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सका। एससीएल ने 31 मार्च, 2022 तक अपने खातों की पुस्तकों में पूंजीगत ड्रेजिंग और अन्य पूंजीगत कार्यों के लिए प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में ₹868.25 करोड़ की राशि दर्ज की थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लंबित अदालती मामलों के कारण ड्रेजिंग का काम नहीं किया जा सका, इसलिए ड्रेज्ड क्षेत्र गाद के अधीन था,

जिससे परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण हानि हुई। एससीएल ने गाद के कारण होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया (मार्च 2022)। विभिन्न मुकदमों के कारण सुप्रीम कोर्ट (सितंबर 2007) के निर्देश पर पूंजीगत ड्रेजिंग का काम निलंबित कर दिया गया था। मंत्रालय ने कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया (जून 2021)। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में लंबित विभिन्न मुकदमों के कारण एससीएल का समापन अभी पूरा होना बाकी है (सितंबर 2024)।

(पैरा 6.4.1, 6.4.3 और 6.4.4)

हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, कार्यशील पूंजी की कमी और तरलता की समस्या, नियमित नकदी प्रवाह में कमी के कारण तीव्र निधि की कमी, कम दक्षता और बार-बार टूटने के साथ काम करने वाले पुराने संयंत्र और मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी और कम जनशक्ति उत्पादकता आदि के कारण उत्पादन में कमी और कम क्षमता उपयोग हुआ। खराब वित्तीय स्थिति के कारण, कंपनी अपने कुछ वैधानिक और कर्मचारियों के बकाये का समय पर भुगतान करने में असमर्थ थी। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का संचित घाटा और निवल मूल्य क्रमशः (-) ₹1,528.54 करोड़ और (-) ₹844.07 करोड़ था। कंपनी ने एक आधुनिकीकरण योजना प्रस्तुत की थी जिसे अभी (जुलाई 2024) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

(पैरा 6.5)

पीईसी लिमिटेड के लगातार घाटे का मुख्य कारण उच्च वित्त लागत, देनदारों से बकाया राशि की वसूली न होना और परिचालन बंद करना था। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की निवल मूल्य (-) ₹2,223.98 करोड़ थी। पीईसी लिमिटेड को बंद करने के निर्णय के लगभग तीन साल बीत जाने के बाद भी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिलना बाकी है (जून 2022)। नतीजतन, एक तरफ, कंपनी अपने परिचालन बंद करने के कारण कोई राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ, उसे बकाया ऋणों पर भारी ब्याज के बोझ के अलावा प्रशासनिक और स्थापना लागतों पर खर्च करना पड़ रहा था।

(पैरा 6.6.2 और 6.6.3)

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) ने अप्रैल 2015 से मार्च 2022 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से खुले बाजार की तुलना में महंगे कपास की खरीद पर ₹38.48 करोड़ का अनावश्यक व्यय किया। एनटीसी ने मिलों के चालू न होने के कारण 50 प्रतिशत की दर से 6,140 श्रमिकों को निष्क्रिय मजदूरी के लिए मई 2020 से मार्च 2022 तक ₹112.75 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के

दौरान, भारत सरकार ने मजदूरी सहायता के लिए एनटीसी को ₹270 करोड़ का ऋण दिया। 31 मार्च, 2022 तक ₹270 करोड़ का मूल ऋण और उस पर ₹631.19 करोड़ का उपार्जित ब्याज बकाया था। वर्ष 2009 में निपटान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एनटीसी मिलों में अप्रचलित मशीनरी का निपटान अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

{पैरा 6.7.4.1(i) और (ii), 6.7.4.2(i) और 6.7.4.3(ii)}

31 मार्च, 2022 तक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) का संचित घाटा और निवल मूल्य क्रमशः (-) ₹1,017.62 करोड़ और (-) ₹901.96 करोड़ था। एचओसीएल की रसायनी इकाई में परिसंपत्तियों के संपूर्ण निपटान की प्रक्रिया मई 2018 तक पूरी होनी थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। नतीजतन, अब तक केवल 40 प्रतिशत भूमि का ही मुद्रीकरण किया जा सका है। भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया को पूरा करने में निरंतर देरी के कारण, सरकारी ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धताओं ने इसके वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। संचालन का निम्न स्तर और उच्च निश्चित लागत, तकनीकी अप्रचलन और उत्पाद विविधीकरण की कमी एचओसीएल के परिचालन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली मुख्य बाधाएं हैं।**(पैरा 6.8.2, 6.8.4.2 और 6.8.7)**

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटी) अपनी स्थापना (अप्रैल 2000) से ही घाटे में चल रही है और भारत सरकार और होल्डिंग कंपनी से ₹1,377.47 करोड़ (2007 से 2022 के दौरान) की वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद, कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकी। 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी ने ₹1,932.26 करोड़ का संचित घाटा था और निवल पूरी तरह खत्म हो कर (-) ₹1,684.74 करोड़ रह गई थी। अप्रभावी विपणन प्रणाली और नवीनतम बाजार दरों के साथ मूल्य निर्धारण तंत्र की समीक्षा न करने तथा लंबी डिलीवरी अनुसूची के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले छह वर्षों के दौरान 2,020.90 करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसरों का नुकसान हुआ। खाली भूमि और अप्रयुक्त बुनियादी ढांचे का मुद्रीकरण न करने के परिणामस्वरूप वैधानिक बकाया के भुगतान के अलावा लंबे समय से चले आ रहे कर्ज को चुकाने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन जुटाने में विफलता हुई।

(पैरा 6.9.2.1, 6.9.2.5 और 6.9.2.7)